कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरौ (गढ़वाल)

Office of The Executive Engineer, Construction Division P.W.D. Baijro (Garhwal)
E-mail : eepwdbaijro@rediffmail.com, eepwdbaijro01@gmail.com

उत्तराखण्ड शासन

पत्रांकः– 246/14 सी0 दिनांकः– 19/02/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग,
पौडी (गढवाल)

विषय– जनपद पौड़ी गढवाल में एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.945 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 4121/12–1 दिनांक 10.06.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या 1807/FP/UK/ROAD/43504/2019 की सैद्वान्तिक स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 171 /X–3–20/I/(16) 2020 दिनांक 18.03.2020 द्वारा प्राप्त है। विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन निम्नानुसार है।

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 530850.00 दि0 11.08.2020 को चालान द्वारा जमा की जा चुकी है। संलग्नक -1
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0स0 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एम0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) को निर्धारित रू0 620865.00 दि0 11.08.2020 को चालान द्वारा जमा की जा चुकी है। संलग्नक -1
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	वर्तमान में अगर एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने की बचनवद्वता का प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक -2
4	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0वी0पी0) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय लेखा सं0 एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) बलाक–11 भूतन सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज–1 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राप्ट/चेक की धनराशि सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एम0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पीवी0 की धनराशि रू0 620865.00 रोड साईड वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रखरखाव हेतु रू0 530850.00 कुल रू0 1151715.00 की धनराशि दि0 11.08.2020 को चालान द्वारा उत्तरांचल कैम्पा के नाम जमा की जा चुकी है, (छायाप्रति संलग्न)। संलग्नक -1
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की सस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की सस्तुतियों एवं भ–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्त एजेन्सी के द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभीलेखों/ प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जायेगा (छायाप्रति संलग्न)) संलग्नक -3
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंताषजनक अनुपालन होगे की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति	प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

	को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	
8	उपररोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	वर्तमान में खण्ड द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समस्त निहित शर्तो का उपरोक्तानुसार अनुपालन किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समस्त निहित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव अपने स्तर से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्री कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बैजरौ (गढ़वाल)

पत्रांकः– /14 सी0 दिनांकः– / /

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षण (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु प्र्यावरण मत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौडी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, पौडी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बैजरौ (गढ़वाल)

संख्या: 171 /X-3-20/1(16)/2020

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन अनुभाग–3

देहरादून: दिनांक: 18 मार्च, 2020

विषयः जनपद पौड़ी गढ़वाल में एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.945 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1807/FP/UK/ROAD/43504/2019 दिनांक 22 जनवरी, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद पौड़ी गढ़वाल में एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.945 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति**, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.3 में दिये गये दिशा–निर्देश के क्रम में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट / चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।

2.........

7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संख्याः (1)/X-3-20/1(16)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
6. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरो, पौड़ी।
7. गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संलग्नक-1

6	FP/UK/ROAD/40897/2019 Construction Of Danda Guveen (Gram Sabha Guveen) Motor Road in Bironkhal Block, District Pauri Garhwal, Uttarakhand	ROAD408972019942	6140897942	18 Mar 2020	**CA:** **PCA:** **Safety Zone:** **NPV:** **Other Charges1 :** **Other Charges2 :** **Other Charges3 :** **Total :**	0/-, 0/-, 0/-, 650430/-, 0/- 0/- 0/- 1206558/-	**Addl CA :** **CAT :** **Addl PA :** **road side plantation :**	0/ 0/- 0/- 556128/-	Paid	**Fund Demand Verified by** **Nodal Officer On** **Bank Name** **Mode of Payment** **Challan Generated On** **Transaction Date**	: 17 Nov 2020 : Corporation Bank : Corporation Bank (Challan) : 23 Nov 2020 : 21 Dec 2020	Demand Letter Generated Challan
7	FP/UK/ROAD/40720/2019 Construction of Under State Sector Village Morobend to Dhobighat Motor road in Block Bironkhal, District Pauri Garhwal	ROAD407202019385	6140720385	03 Feb 2020	**CA:** **PCA:** **Safety Zone:** **NPV:** **Other Charges1 :** **Other Charges2 :** **Other Charges3 :** **Total :**	0/-, 0/-, 0/-, 650430/-, 0/- 0/- 0/- 1156001/-	**Addl CA :** **CAT :** **Addl PA :** **Road side plantation :**	0/- 0/- 0/- 505571/-	Paid	**Fund Demand Verified by** **Nodal Officer On** **Bank Name** **Mode of Payment** **Challan Generated On** **Transaction Date**	: 03 Jul 2020 : Corporation Bank : Corporation Bank (Challan) : 06 Aug 2020 : 13 Aug 2020	Demand Letter Generated Challan
8	FP/UK/ROAD/43504/2019 In District pauri garhwal construction of Kothila-Khitotiya motor Road from NH band	ROAD435042019405	6143504405	18 Mar 2020	**CA:** **PCA:** **Safety Zone:** **NPV:** **Other Charges1 :** **Other Charges2 :** **Other Charges3 :** **Total :**	530850/-, 0/-, 0/-, 620865/-, 0/- 0/- 0/- 1151715/-	**Addl CA :** **CAT :** **Addl PA :** **Other Charges :**	0/- 0/- 0/- 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by** **Nodal Officer On** **Bank Name** **Mode of Payment** **Challan Generated On** **Transaction Date**	: 28 Jun 2020 : Corporation Bank : Corporation Bank (Challan) : 06 Aug 2020 : 13 Aug 2020	Demand Letter Generated Challan
9	FP/UK/ROAD/43022/2019 Construction of VILLAGE SYUNSI TO AAMKULAUN MOTOR ROAD IN BIROKHAL BLOCK DISTT PAURI GARHWAL UTTARAKHAND	ROAD430222019998	6143022998	03 Feb 2020	**CA:** **PCA:** **Safety Zone:** **NPV:** **Other Charges1 :** **Other Charges2 :** **Other Charges3 :** **Total :**	0/-, 0/-, 0/-, 650430/-, 0/- 0/- 0/- 1156001/-	**Addl CA :** **CAT :** **Addl PA :** **Road side Plantation :**	0/- 0/- 0/- 505571/-	Paid	**Fund Demand Verified by** **Nodal Officer On** **Bank Name** **Mode of Payment** **Challan Generated On** **Transaction Date**	: 21 Mar 2020 : Corporation Bank : Corporation Bank (Challan) : 17 Jul 2020 : 04 Aug 2020	Demand Letter Generated Challan
10	FP/UK/ROAD/16722/2015 construction of NAULAPUR -KHETU-KEDARGALI -KONAGAD -	ROAD167222015553	6116722553	19 Oct 2016	**CA:** **PCA:** **Safety Zone:** **NPV:** **Other Charges1 :**	370473/-, 0/-, 308605/-, 0/-, 0/-	**Addl CA :** **CAT :** **Addl PA :** **Other Charges :**	0/- 0/- 0/- 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by** **Nodal Officer On** **Bank Name** **Mode of Payment**	: 23 Sep 2019 : Corporation Bank : Corporation Bank (Challan)	Demand Letter Generated Challan

संलग्नक -2

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनप्रद पौड़ी गढ़वाल के में एन0एस0 बैण्ड से कोठिला- खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य लम्बाई 6.025 किमी0 ।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरो के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान विभाग द्वारा यथा समय कर दिया जायेगा ।

24/8/2020

ह0/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

संलग्नक -3

54

:: प्रारुप–30 ::

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

संख्या: 1276/26-प्रशा० अधि० (मा० प्रशा०) 2018 दिनांक चौड़ी 23-6-2018

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pauri Garhwal.

No

Dated

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.945** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer, Division C.D. PWD Baijro** for **Construction of kothila-Khitotiya Motor Road from N.H. Band** (purpose for diversion of forest land) in **Pauri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Kothila , Siroli, Choundi, Dhulkholi malli and Khitotiya** village (s) in **Thalisain** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.945** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **30.1** to annexure **30.4**

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.

(Sushil Kumar)
District Collector Pauri Garhwal

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Garhwal.

No .1276/26-प्रशा०अधि० (स०प्रशा०)2018 Dated 23-6-2018

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.945 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of C.D. PWD Baijro (name of user agency) for **Construction of kothila-Khitotiya Motor Road from N.H. Band** (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of **Kothila , Siroli, Choundi, Dhulkholi malli and Khitotiya** village (s) in **Thalisain** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.3..to 30.4....annexure 30.3 30.2

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Khitotiya villages(s) is enclosed as annexure. 30.3...... to annexure. 30.4.......

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl :- As above.

[illegible signature and stamp]

:: प्रारूप–30.1 ::

56

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Garhwal** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Shushil Kumar** I.A.S deputy commissioner **Pauri Garhwal** on dated 23.6.18... at time ....11.00.AM..at **Pauri** in which application claiming rights in **Khatli** area measuring **0.945** hect for the **Construction of kothila-Khitotiya Motor Road from N.H. Band in Bironkhal Block, District Garhwal regarding** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Dhumakot** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Pauri
Dated - 23-6-2018

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
जिलाधिकारी

It is further Certified that minutes of meeting of Construction of kothila-Khitotiya Motor Road from N.H. Band in Bironkhal Block, District Garhwal. Length 6.025 km regarding F.R.A. is as following:-

Sl. No.		Remarks
(a)	The Complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.945hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest rights committee (s), Sub Division level committee (s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No Objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural Communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Member District Board
Pauri Garhwal

District Social Welfare Officer
Pauri Garhwal

Divisional Forest Officer
Pauri Garhwal

Executive Engineer
P.W.D. Division Bajro

Deputy Commissioner
Pauri Garhwal

।दिनांक .... को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति :–

1– सर्व श्री सुशील कुमार	जिलाधिकारी गढ़वाल	अध्यक्ष
2– श्री लक्ष्मण सिंह रावत	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी	सदस्य
3– श्री	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	सदस्य
4– श्री यशपाल पटवाल	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य

बताया गया कि **जनपद पौडी गढवाल में एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्गो हेतु उप स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुये निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्ग का विवरण निम्नवत् है:–

1– **जनपद पौडी गढवाल में एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग** :– इस मोटर मार्ग का प्रारम्भ एन0एच0 121 के मैठाणाघाट बाजार के निकट ग्राम सिरोली से है जो 6.025 कि0मी0 लम्बाई में खिटोटिया ग्रामसभा से जुड़ेगा। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम 1. खिटोटिया, 2. सिरोली 3. कोठिला, 4. बुलखोली मल्ली 5. चौण्डी की लगभग **994** की जनसंख्या लाभान्वित होगी। जिसमें **1050.00** मी0 लम्बाई में सिविल वनभूमि, **शून्य** मी0 में सिविल वनपंचायत भूमि, **शून्य** मी0 लम्बाई में आरक्षित एवं **4975.00** मी0 लम्बाई में नाप भूमि प्रभावित होगी। मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी, जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नही हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति थलीसैण द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु अन्य विकल्पों पर विचारोंपरान्त प्रस्तावित समरेखण ही उपयुक्त पाया गया है।

सदस्य

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति थलीसैण से प्राप्त **बीरोंखाल** ब्लाक में **एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग** निर्माण हेतु प्रस्तावित सिविल भूमि 0.945 है0, सिविल वन पंचायत भूमि **शून्य** है0 एवं आरक्षित वन भूमि **शून्य** है0 इस प्रकार कुल वनभूमि **0.945** है0 लोक निर्माण विभाग को उप खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में संक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति प्राप्त की गई है।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(सुशील कुमार) आई0ए0एस0
जिलाधिकारी
गढ़वाल।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 बैजरो, गढ़वाल

पत्रांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि – 1– जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण बहुखण्डी)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बैजरो (गढ़वाल)

:: प्रारुप–30.2 ::

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थलीसैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, थलीसैण

उपखण्ड **थलीसैण** परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद **पौड़ी गढ़वाल** के **विकास खण्ड बीरोंखाल एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0** निर्माण के लिये (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.945** हे0 सिविल वन भूमि, **0.000**हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **0.945** हे0 वन भूमि) का **लोक निर्माण विभाग** के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **थलीसैण**) की दिनांक 20-4-2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मायादत्त जोशी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री मायादत्त जोशी उपजिलाधिकारी थलीसैण –अध्यक्ष
2– श्री ———— उप प्रभागीय वनाधिकारी ———— सदस्य
3– श्री ———— सहायक समाज कल्याण अधिकारी बीरोंखाल सदस्य/सचिव
4– श्री ———— बी0डी0सी0 क्षेत्र ———— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0** निर्माण हेतु **0.945**हे0 वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **थलीसैण** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) **अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **थलीसैण** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0** हेतु 0.945 वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– थलीसैण
जनपद पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा0 समाज कल्याण अधिकारी
वि0 ख0 बीरोंखाल

उप प्रभागीय वनाधिकारी
पौड़ी वन प्रभाग
पौड़ी

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– थलीसैण
जनपद पौड़ी गढ़वाल

:: प्रारुप–30.3 ::

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ...सिरोली...
तहसील थलीसैंण जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0के निर्माण हेतु (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे0 सिविल भूमि, 0.945 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.945 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पचायत सिरोली खिटोटिया द्वारा दिनांक 21.12.16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उपगॉव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के में एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0 के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0
ग्राम सचिव खिटोटिया ग्राम-सिरोली
मुहर सहित बीरोंखाल
जनपद पौड़ी गढ़वाल

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
(मुहर: ग्राम खिटोटिया प्रधान)

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0

:: प्रारुप—30.4 ::

दिनांक 21.12.2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिरोली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	योगेश्वर सिंह	Yogeshwar
2	बलवीर सिंह	बलवीर सिंह
3	सतीशचन्द्र	सतीश चन्द्र
4	महिपाल सिंह	M Singh
5	दर्शन सिंह	[illegible]
6	आलमसिंह	आलम सिंह
7	महेश्वरी देवी	
8	सरोजनी देवी	सरोजनी देवी
9	बीना देवी	बीना देवी
10	अर्जुनसिंह	A Singh
11	जमन सिंह	
12	बलवन्तसिंह	
13	लक्ष्मी देवी	
14	सत्या देवी	सत्या देवी
15	रिंकी देवी	रिंकी देवी
16	धनेश्वरी देवी	धनेश्वरी देवी
17		
18		

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
[illegible] पौड़ी गढ़वाल

ह0/—
ग्राम प्रधान

:: प्रारुप–30.3 ::

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम खिटोटिया
तहसील थलीसैण जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0के निर्माण हेतु (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे0 सिविल भूमि, 0.945 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.945 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत खिटोटिया द्वारा दिनांक 21.12.16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। • उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उपगाँव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के में एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0 के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम संचिव खिटोटिया
मुहर सहित वी.टी.खाल
जनपद पौड़ी गढ़वाल

सत्य प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
दुगड्डा (पौड़ी गढ़वाल)

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ग्राम सभा खिटोटिया
प्रधान
बीरोंखाल (गढ़वाल)

:: प्रारुप–30.4 ::

दिनांक 21-12-2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...रिठोलिया.......

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मनवरसिंह डंगवाल	[signature]
2	बख्तावर सिंह रावत	[signature]
3	गोविन्द सिंह रावत	[signature]
4	गबर सिंह रावत	गबरसिंह
5	रणजीत सिंह रावत	[signature]
6	कुलदीप सिंह रावत	[signature]
7	सुरेशानन्द खनसाली	सुरेश खनसाली
8	रमेश खनसाली I	[signature]
9	रमेश रव० II	रमेश चन्द्र
10	नरेन्द्र खनाली	[signature]
11	छमाराम ध्यानी	छमाराम
12	महानन्द नौटियाल	महानन्द
13	देवानन्द शाह	[signature]
14	श्यामसिंह रावत	श्यामसिंह
15	मोहनसिंह सजवाण	मोहनसिंह
16	महिपालसिंह सजवाण	[signature]
17	कमलकिशोर नौटियाल	[signature]
18	सवितम नौटियाल	[signature]

छाया प्रति सत्यापित

[signature]

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

[illegible]

ह० / [signature]

ग्राम प्रधान

:: प्रारुप–30.3 ::

परियोजना का नाम :– जनपद पौडी गढ़वाल में एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ...कोठिला...
तहसील थलीसैंण जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0के निर्माण हेतु (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे0 सिविल भूमि, 0.945 हे0 वन पंचायत भूमि) अंर्थात कुल 0.945 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत —कोठिला— द्वारा दिनांक 15/1/2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के सामुदायिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उपगॉव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के में एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0 के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत...कोठिला...
विकास खण्ड...बीरोंखाल...
जनपद...पौड़ी गढ़वाल...

प्रति हस्ताक्षरित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बैजरो (पौड़ी गढ़वाल)

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

:: प्रारुप–30.4 ::

दिनांक 15/12/2017....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....कोठिला..........

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री यशवन्त सिंह ग्राम कोठिला	[signature]
2	धर्मेन्द्र ,, ,,	[signature]
3	शैलेन्द्र ,, ,,	[signature]
4	सन्तन सिंह ,, ,,	सन्तनसिंह बिष्ट
5	कृपाल सिंह ,, ,,	[signature]
6	मनोज कुमार ,, ,,	Manoj
7	अनिल कुमार ,, ,,	[signature]
8	राकेश कुमार ,, ,,	[signature]
9	आनन्द सिंह ,, ,,	आनन्द सिंह
10	विद्या देवी ,, ,,	विद्या देवी
11	विद्या देवी ,, ,,	विद्या देवी
12	बलवन्त सिंह ,, ,,	[signature]
13	धीरेन्द्र सिंह ,, ,,	धीरेन्द्र सिंह
14	प्रेमबल्लभ ,, ,,	[signature]
15	कल्पना देवी ,, ,,	कल्पनादेवी
16	दुलाड़ सिंह ,, ,,	दुलाड़ सिंह
17	धर्मेन्द्र सिंह ,, ,,	[signature]
18	अरविन्द सिंह ,, ,,	[signature]

छाया प्रति सत्यापित

[signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बैजरो (पौड़ी गढ़वाल)
3/12

[signature] कोठिला

ह0/–
ग्राम प्रधान

:: प्रारुप–30.3 ::

परियोजना का नाम :– **जनपद पौड़ी गढ़वाल में एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ....चौण्डी....

तहसील धूमाकोट जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **पौड़ी गढ़वाल** के अन्तर्गत कि जनपद **पौड़ी गढ़वाल** के विकास खण्ड बीरोंखाल **एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण।** लम्बाई **10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0**के निर्माण हेतु (**0.000** हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.000** हे0 सिविल भूमि, **0.945** हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **0.945** हे0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत चौण्डी (खिटोटिया) द्वारा दिनांक 21.11.21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उपगाँव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** को **जनपद पौड़ी गढ़वाल** के विकास खण्ड बीरोंखाल के में **एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण।** लम्बाई **10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0** के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ह0 खिटोटिया ग्राम चौण्डी
ग्राम पंचायत ग्राम सचिव बीरोंखाल
विकास खण्ड मुहर सहित पौड़ी गढ़वाल
द्वारा श्री जनपद

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बैजरो (पौड़ी गढ़वाल

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

(मुहर: ग्राम पंचायत खिटोटिया, प्रधान, बीरोंखाल (पौड़ी))

:: प्रारुप–30.4 ::

दिनांक 21-12-2016..को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....चौण्डी....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	आलम सिंह	आलम सिंह
2	भगवान सिंह	भगवान सिंह
3	मंगलसिंह	मंगल सिंह
4	मनवर सिंह	मनवर सिंह
5	दिपका देवी	दिपका देवी
6	सुमन देवी	सुमन देवी
7	कुप्पड़ी देवी	निo
8	कालेश्वरी देवी	अगूंठा
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बैजरो (पौड़ी गढ़वाल)

ह0/–
ग्राम प्रधान

:: प्रारुप–30.3 ::

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापूत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम दुलस्कोली मल्ली
तहसील धुमाकोट जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0के निर्माण हेतु (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे0 सिविल भूमि, 0.945 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.945 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत दुलस्कोली द्वारा दिनांक 14/12/2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उपगॉव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के में एन0एच0 बैण्ड से कोठिला–खिटोटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 10.000 कि0मी0 वास्तविक लम्बाई 6.025 कि0मी0 के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ह0
ग्राम सचिव कोठिला ग्राम – दुलस्कोली मल्ली
मुहर सहित बीरोंखाल
जनपद गढ़वाल
छाया प्रति सत्यापित।

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बैजरो (पौड़ी गढ़वाल)

:: प्रारुप—30.4 ::

दिनांक 14/12/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत डुलरवोली मल्ली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम		हस्ताक्षर
1	सत्य प्रकाश	ग्राम डुलरवोली	सत्यप्रकाश
2	विजय चन्द्र	,,	विजय चन्द्र
3	दिनेश चन्द्र	,,	[illegible]
4	प्रदीप	,,	[illegible]
5	सत्या देवी	,,	सत्या देवी
6	ईश्वरी देवी	,,	
7	बिमला देवी	,,	
8	आत्माराम रवसैई	,,	[illegible]
9	सन्तानसिंह बिष्ट	,,	सन्तानसिंह बिष्ट
10	शम्भू	कोठला	[illegible]
11	रेखा देवी	डुलरवोली	रेखा देवी
12	प्रतापसिंह	,,	[illegible]
13	विजय सिंह	,,	विजयसिंह
14	सतेश्वरी देवी	,,	सतेश्वरी देवी
15	जयमाल सिंह	,,	[illegible]
16	मोहनसिंह	,,	M S Sang
17	मुन्नी देवी	,,	
18	रचना देवी	,,	

द्वारा प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बैजरो (पौड़ी गढ़वाल)

Yogesh Kumar

ग्राम प्रधान